

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट रामगढ
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. प्रहलादराय पंसारी पुत्र श्रीनिवास पंसारी, निवासी रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर
जरिये मुख्तयार संतोष पंसारी पुत्र प्रहलादराय पंसारी, निवासी रामगढ शेखावाटी, जिला
सीकर हाल निवासी मुम्बई।

.....वादी

बनाम

1. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय रामगढ तहसील
रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।

.....प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर - 17/18 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.)
व.....एवं मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी
का वाद बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रमाणित नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुले
न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत X
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगेरह Xफीसदी सालाना आज की
तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21.06.2018 सन् 2018 को जारी किया
गया।

मोहर



दस्तख्त उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
ओहदालोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत शेखावाटी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	00.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	08.00	00	मुतफरिक		
मीशान	11.00	00	मीजान	00.00	

नोट:- इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं